शासनादेश संख्या–218/XXIV(6)/6(76)06–2006, दिनांक– 05 अप्रैल, 2006 मार्च, 2006

परिशिष्ट–1

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने वाले मानक

आवेदन पत्र

1. ऐसी प्रत्येक संस्था के लिए, जो अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा करें, यह आवश्यक होगा कि वह संस्था के संविधान, मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली, महाविद्यालय की प्रशासन योजना तथा अन्य अभिलेख, निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करें। निदेशक, उच्च शिक्षा, शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर परीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति सहित ऐसे आवेदन पत्रों को एक माह के भीतर शासन को भेजेंगे।

संस्था की स्थापना का उद्देश्य व कारण

2. संस्था की स्थापना धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गई हो, तथा संस्था धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन में हो।

सोसायटी का पंजीकरण

3. शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध तंत्र को विधिक स्तर प्राप्त होना चाहिये तथा "सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट" के अन्तर्गत निर्वाचित व्यक्तियों का एक समुह अथवा समष्टि के संकल्प सहित कोई संस्था होनी चाहिये।

संस्था में प्रवेश

4. अल्पसंख्यको द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों तक ही सीमित नही होना चाहिये। अल्पसंख्यक संस्था धर्म व जाति के आधार पर किन्ही व्यक्तियों को प्रवेश देने से इन्कार नही करेगी तथा बिना संरक्षक की राय के धार्मिक अनुदेश नही देगी तथा धार्मिक पूजा पाठ में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही करेगी।

संस्था का प्रबन्ध

5. शैक्षिक संस्थाओं को अधिशासित करने का अधिकार तर्कसंगत नियमों के अधीन होना चाहिये। जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यको द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाए कोई ऐसा कार्य नही करेगी जिससे साम्प्रदायिक व सामाजिक सौहार्द में बाधा पहुचें तथा संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अधिशासित होने के नाते विशेषाधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आर्थिक लाभ पहुचाने हेतु नही करेगी। संस्था कुशल प्रशासन के सिद्धान्तों का अनुसरण करेगी और संस्था के शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही विषयक नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप रखेगी।

6(क) अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों की अपेक्षित अर्हतायें वहीं होंगी जैसी कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अन्तर्गत वर्णित है। नये महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

(ख) अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी अर्ह व्यक्ति को नियुक्त करने की छूट प्राप्त होगी, लेकिन शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का चयन खुले विज्ञापन द्वारा उक्त अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।

(ग) किसी भी संस्था के अल्पसंख्यक घोषित हो जाने का आशय यह नहीं है कि उसे शासन से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक एवं गैर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

7. नियम/विनियम इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाये, उदाहरणार्थ :–

क. ऐसी शर्त की राज्य सरकार को संस्था के प्रबन्धन का कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा।

ख. यह कि राज्य सरकार को प्रबन्ध समितियां गठित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

ग. संस्था के प्रबन्धतन्त्र में अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना।

घ. यह कि राज्य सरकार, संस्था से अपेक्षा करेगी कि सीटों को आरक्षित करे।

ड. यह कि संस्था के छात्र, उच्च शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने के अयोग्य होंगे।

च. यह कि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी भाषा का प्रयोग हो।

8. किसी संस्था को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए शासन द्वारा गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जो अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी:–

1.	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव	सदस्य
3.	सचिव, न्याय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4.	प्रदेश के किसी राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति (जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो, यदि इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति कुलपति नही हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को जो "क" श्रेणी का अधिकारी हो, को नामित किया जा सकता है)	सदस्य
5.	उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6.	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव समिति के संयोजक होंगें।

9. शासन द्वारा लिये गये निर्णय से और यदि अस्वीकृति दी गई है तो अस्वीकृति के कारणों सहित सम्बन्धित संस्था को अवगत कराया जायेगा।

शासनादेश संख्या–[illegible]/(3)/3(73)06–2006 दिनांक– 25/04/2006 मार्च, 2006

परिशिष्ट–2

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप

1. महाविद्यालय का नाम–
2. पत्र व्यवहार का पता (मोहल्ला/ग्राम/तहसील, जनपद सहित)–
3. महाविद्यालय का स्थापना वर्ष–
4. शासन द्वारा अनापत्ति/प्रथम सम्बद्धता जारी किये जाने का दिनांक एवं राजाज्ञा संख्या–
5. किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों, समिति या ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया (उनका/उनके पूरे पते व नाम तथा समिति या ट्रस्ट की दशा में उसके मुख्य कार्यालय का पता)–
6. जिस लेख (डोक्यूमेन्ट) द्वारा स्थापित किया गया है, उसका किस तिथि में और कहाँ पर पंजीकरण हुआ–
7. समिति ट्रस्ट की दशा में उसके कुल सदस्यों की संख्या तथा प्रत्येक सदस्य, जिस धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का हो, उसका उल्लेख–
8. यदि महाविद्यालय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा स्थापित हो, तो वह किस धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के है, का उल्लेख–
9. किस भावना तथा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई तथा सम्बन्धित लेख में क्या विवरण दिया हुआ है–
10. वर्तमान समय में महाविद्यालय किसके द्वारा संचालित है तथा सदस्य किस किस धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के है–
11. भाषाई अल्पसंख्यक होने के दावे की दशा में उन आधारों का उल्लेख जिन पर दावा किया गया है–
12. संस्था की प्रबन्ध समिति के भाषाई/धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की संख्या–
13. महाविद्यालय के शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रबन्ध की स्थिति–
14. महाविद्यालय के प्रवक्ताओं का विवरण (प्रवक्ताओं का नाम, प्रत्येक की योग्यता, चयन प्रक्रिया तथा नियुक्ति के वर्ष सहित)–

दिनांक–..............

प्रबन्धक के हस्ताक्षर

संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्रजात भी संलग्न किये जाये–

1. संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. संस्था का संविधान, मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली, एवं महाविद्यालय की प्रशासन योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. संस्था के प्रबन्ध तंत्र के सदस्यों की सूची, उनके धार्मिक तथा भाषाई [illegible] के विवरण सहित।
4. परिशिष्ट –1 में दिये गये [illegible] के क्रम संख्या–4, 5 व 6 (क, ख व ग) [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] का शपथपत्र।